न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 22 / 2026

तारीख दायर :–26.05.2026

तारीख फैसला :–05.06.2026

1. श्री पेमा पिता गमानिया मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री सविया पिता गमानिया मीणा निवासी केलवा लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती मोवनी पत्नी गमानिया मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री वरदीया पिता तोला मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री नारण पिता रंगा मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

2 श्री शंभु पिता रंगाा मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

3 श्री रामा पिता रंगा मीणा निवासी केलवा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलूम्बर।

..................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

उपस्थिति – वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित

:–निर्णय–:

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 114 पुराना 111 के आराजी संख्या 245 रकबा 0.1080 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 246 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0. 2160, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1728 हैक्टेयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम केलवा पटवार हल्का मानपुरियों का गुडा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया ज़िला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी ने अपनी सीमा जानकारी अप्रार्थीगण की मौजुदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण ,प्रार्थी की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा है व प्रार्थी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थी की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थी की फसल व घास का नुकसान करते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम केलवा , पटवार

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

हल्का मानपुरियों का गुडा के खाता संख्या नया 114 पुराना 111 के आराजी संख्या 245 रकबा 0.1080 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 246 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0. 2160, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1728 हैक्टेयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को ज़रिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया से जवाब तलब किया गया तहसीलदार लसाडिया द्वारा पेश जवाब में मौके पर सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करने के आदेश होने पर कोई आपत्ति जाहीर नही की गई । तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की की बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराज़ी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। व पूर्व में सीमाजानकारी कें दौरान मौके पर विवाद होने से सीमाजानकारी पूर्ण नही हो सकी । उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम केलवा पटवार क्षेत्र मानपुरियों का गुडा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कूण की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 114 पुराना 111 के आराजी संख्या 245 रकबा 0.1080 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 246 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0. 2160, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1728 हैक्टेयर भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रोली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थी की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी फीस 1000/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेंगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)